HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 32— HLA OF 2022

THE HARYANA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) SECOND AMENDMENT BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Second Amendment Act, 2022. Short title.

2. In section 3D of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975 (hereinafter called the principal Act), for the words "fifteen thousand rupees", the words "twenty thousand rupees" shall be substituted. Amendment of section 3D of Haryana Act 2 of 1975.

3. After section 3D of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:- Insertion of section 3E in Haryana Act 2 of 1975.

"**3E. Driver allowance.**— A member shall be entitled to driver allowance at the rate of twenty thousand rupees per month which the Haryana Vidhan Sabha Secretariat may directly credit to the account of person to be notified by the member to the Secretariat to work as his Driver:

Provided that the person so notified by the member shall continue to render assistance to the member at his pleasure.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 3D of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975 every member of the Haryana Legislative Assembly is entitled to secretarial allowance at the rate of rupees fifteen thousand per month which the Haryana Vidhan Sabha Secretariat may pay to the person to be notified by the member to the Secretariat to work as his/her secretary.

At present, there is no provision in the Haryana Legislative assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975 providing for the driver allowance.

During the recent past, various members have from time to time individually and collectively approached the Hon'ble Speaker and stated that:

(i) a member is entitled for one Secretary/PA, who is being paid a very meager salary of rupees fifteen thousand per month only which is insufficient to maintain himself along with the family;

(ii) at present in terms of Haryana Vidhan Sabha Secretariat Notification No. 115/CATA/2000-2022/8666 dated 28.04.2022 i.e. for amendment in the Haryana Legislative (Allowances of Members) Rules, 1976, in Rule 9, in Sub-rule (1) for clause (b), Rs. 20000/- is being paid to the Hon'ble Members as driver allowance, who further pay the same to his driver and suggested that :

(a) the secretarial allowance may be increased sufficiently;

(b) the provision of driver allowance at the rate of twenty thousand rupees per month which the Haryana Vidhan Sabha Secretariat may directly credited to the account of person to be notified by the Member to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat to work as his Driver.

Considering the above suggestion, the Bill seeks to amend section 3D and insertion of a new section 3E in the Haryana Legislative Assembly (Salary Allowances and Pension of Members) Act, 1975.

KANWAR PAL,
Parliamentary Affairs Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh : R. K. NANDAL,
The 22nd December, 2022 Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 22nd December, 2022, under proviso to rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

FINANCIAL MEMORANDUM

Section 3D of the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 1975 provides for the secretarial allowance at the rate of rupees fifteen thousand per month to be paid the person notified by each member (excluding the Chief Minister, Minister, Minister of State, Deputy Minister, Speaker, Deputy Speaker, Chief Parliamentary Secretary, Parliamentary Secretary and the Leader of Opposition). It is estimated that an additional expenditure of Rs. 45,00,000/- per annum (approximately) would be involved if amendment in section 3D to enhance the secretarial allowance from Rs. 15,000/- to Rs. 20,000/- per month is carried out.

ANNEXURE

EXTRACT FROM THE HARYANA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1975

Secretarial Allowance.

3D. A member shall be entitled to secretarial allowance at the rate of fifteen thousand rupees per month which the Haryana Vidhan Sabha Secretariat may pay to the person to be notified by the member to the Secretariat to work as his/her secretary:

Provided that the person so notified by the member shall render assistance to the member at his pleasure:

Provided further that no member who has been holding office of Chief Minister/Deputy Chief Minister /Minister/Deputy Minister /Speaker / Deputy Speaker /Chief Parliamentary Secretary/Parliamentary Secretary and retains Special Assistant Personal shall draw such allowance.

10070—H.V.S.—H.G.P., Pkl.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2022 का विधेयक संख्या 32–एच०एल०ए०

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2022 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3घ में, "पन्द्रह हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3घ का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3घ के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:– 1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3ङ. का रखा जाना।

"3ङ. चालक भत्ता.– सदस्य, प्रति मास बीस हजार रुपये की दर से चालक भत्ते के लिए पात्र होगा, जिसे हरियाणा विधान सभा सचिवालय, सदस्य द्वारा उसके चालक के रूप में कार्य करने के लिए सचिवालय को अधिसूचित किए जाने वाले व्यक्ति के खाते में सीधे ही जमा कर सकता है :

परन्तु सदस्य द्वारा इस प्रकार अधिसूचित व्यक्ति, सदस्य की मर्ज़ी से उसकी सहायता करना जारी रखेगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 3घ के अंतर्गत, हरियाणा विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह पंद्रह हजार रूपये की दर से सचिवीय भते का हकदार है, जिसे हरियाणा विधान सभा सचिवालय सदस्य द्वारा सचिवालय को अपने सचिव के रूप में काम करने के लिए अधिसूचित किए जाने वाले व्यक्ति को भुगतान कर सकता है।

वर्तमान में, हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 में चालक भत्ते के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

हाल के दिनों में, विभिन्न सदस्यों ने समय–समय पर माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से अध्यक्ष महोदय से संपर्क किया और कहा कि–

(i) एक सदस्य, एक सचिव/पीए के लिए हकदार है, जिसे केवल पंद्रह हजार रुपये प्रति माह का बहुत कम वेतन दिया जा रहा है जो कि परिवार के साथ–साथ स्वंय के रख रखाव करने के लिए अपर्याप्त है तथा

(ii) वर्तमान में हरियाणा विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 115/CATA/2000-2022/8666 दिनांक 28/04/2022 जिसके माध्यम से हरियाणा विधान सभा (सदस्यों के भत्ते) नियमावली, 1976 में नियम 9 में संशोधन के लिए उपनियम (1) खंड (ख) के लिए, रूपये 20000/– का भुगतान माननीय सदस्यों को चालक भत्ते के रूप में किया जा रहा है, जो आगे अपने चालक को इसका भुगतान करते हैं तथा सुझाव दिया है कि–

(क) सचिवीय भत्ता पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है,

(ख) प्रति माह बीस हजार रूपये की दर से ड्राईवर भत्ते का प्रावधान, जिसे हरियाणा विधान सभा सचिवालय सदस्य द्वारा हरियाणा विधान सभा सचिवालय में उनके ड्राईवर के रूप में काम करने के लिए अधिसूचित किए जाने वाले व्यक्ति के खाते में सीधे जमा कर सकता है।

उपरोक्त सुझाव को ध्यान में रखते हुए, विधेयक हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 में धारा 3घ में संशोधित करने तथा एक नई धारा 3ङ को सम्मिलित करने का प्रयास करता है।

कंवर पाल,
संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्पाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 22 दिसम्बर, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 3घ में, प्रत्येक सदस्य द्वारा (मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य संसदीय सचिव, संसदीय सचिव तथा विपक्ष के नेता को छोड़कर) अधिसूचित व्यक्ति को भुगतान किए जाने के लिए प्रति माह पंद्रह हजार रुपये की दर से सचिवीय भत्ते का प्रावधान है। यह अनुमान है कि (लगभग) रुपये 45,00,000/– प्रति वर्ष का अतिरिक्त व्यय शामिल होगा यदि धारा 3घ में संशोधन से सचिवीय भत्ता रुपये 15,000/– से 20,000/– रुपये प्रति माह के हिसाब से बढ़ाया जाता है।

अनुबन्ध

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 से उद्धरण

सचिवीय भत्ता

3.घ. प्रत्येक सदस्य पंद्रह हजार रुपये प्रति मास की दर से सचिवीय भते का हकदार होगा जो कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो कि सदस्य द्वारा उनके सचिव के तौर पर कार्य करने के लिए सचिवालय को नामित किया जाएगा :

परन्तुक यह कि यह व्यक्ति जोकि सदस्य द्वारा नामित किया जाएगा सदस्य की इच्छा तक उसे सेवाएं देगा।

परन्तुक आगे यह कि कोई भी सदस्य जोकि मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री मंत्री / मंत्री / उप मंत्री / अध्यक्ष विधान सभा / उपाध्यक्ष विधान सभा / मुख्य संसदीय सचिव / संसदीय सचिव के पद पर कार्य कर रहा हो और यह विशेष निजी सहायक रखना चाहता हो ऐसे भते का आहरण नहीं कर सकेगा।

10070—H.V.S —H.G.P.,Pkl.